रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1202] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 2014/ ज्येष्ठ 15, 1936
No.1202] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2014/JYAISTHA 15, 1936

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2014

का. आ.1448 (अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से निम्नलिखित सदस्य को केंद्रीय प्राधिकरण के लिए नामनिर्दिष्ट करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 582(अ), तारीख 13 अगस्त, 1997 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"5. माननीय न्यायमूर्ति श्री राम मोहन रेड्डी, —सदस्य"।
न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय

[फा.सं. ए-60011(3)/2/2013-प्रशा.III (वि.का.)]

दिनेश भारद्वाज, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 582(अ), तारीख 13 अगस्त, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई, अर्थात् :—

(i) का.आ. 664(अ), तारीख 18 सितंबर, 1997 ;
(ii) का.आ. 554(अ), तारीख 7 जून, 2000 ;
(iii) का.आ. 655(अ), तारीख 11 जुलाई, 2000 ;
(iv) का.आ. 1050(अ), तारीख 27 सितंबर, 2004 ;
(v) का.आ. 1682(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2005 ;
(vi) का.आ. 284(अ), तारीख 23 फरवरी, 2007 ;

(vii) का.आ. 95(अ), तारीख 7 जनवरी, 2009 ;

(viii) का.आ. 698(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2011 ;

(ix) का.आ. 946(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2013 ; और

(x) का.आ. 2824(अ), तारीख 20 सितंबर, 2013 ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi the 5th June, 2014

S.O. 1448 (E).—In pursuance of sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), read with rule 3 of the National Legal Services Authority Rules, 1995, the Central Government, in consultation with the Chief Justice of India, nominates the following Member for the Central Authority and for that purpose hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 582 (E), dated the 13th August, 1997, namely:—

In the said notification, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"5 Hon'ble Mr. Justice Ram Mohan Reddy, Judge, Karnataka High Court. —Member".

[F.No. A-60011(3)/2/2013-Admn. III (LA)]
D. BHARDWAJ, Jt. Secy. & Legal Adviser

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 582 (E), dated the 13th day of August, 1997 and subsequently amended *vide* following notifications number, namely: —

(i) S.O. 664 (E), dated the 18th September, 1997;
(ii) S.O. 554 (E), dated the 7th June, 2000
(iii) S.O. 655 (E), dated the 11th July, 2000;
(iv) S.O. 1050 (E), dated the 27th September, 2004;
(v) S.O. 1682 (E), dated the 1st December, 2005;
(vi) S.O. 284 (E), dated the 23rd February, 2007;
(vii) S.O. 95 (E), dated the 7th January, 2009;
(viii) S.O. 698 (E), dated the 6th April, 2011;
(ix) S.O. 946 (E), dated the 11th April, 2013; and
(x) S.O. 2824 (E), dated the 20th September, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.